छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड

हितवाद परिसर, अवंति विहार तेलीबांधा, मुख्यालय रायपुर

फोन नं. 0771–4066213

क्रमांक / उपार्जन / डेमेज खाद्यान्न / निविदा / 2014–15 / 346 दिनांक 02 / 09 / 2014

// डेमेज खाद्यान्न विक्रय हेतु निविदा आमंत्रण //

निगम के विभिन्न जिलों में डेमेज खाद्यान्न संग्रहित है जिसे निविदा के माध्यम से विक्रय किया जाना है। अतः इच्छुक क्रेताओं से उनके लेटरहेड (जिसमें आफरदाता को पूर्ण नाम, फर्म / कंपनी का पता व टेलिफोन नं., आयकर पेन नं. अंकित हो) पर डेमेज खाद्यान्न का क्रय करने हेतु बंद लिफाफे में दरें आमंत्रित है। जिलेवार संग्रहित डेमेज खाद्यान्न की स्थिति निम्नानुसार है :–

जिलों में उपलब्ध डेमेज खाद्यान्नों की जानकारी

(मात्रा क्विंटल में)

क्र.	जिला	गेहूं		स्वीपेज शक्कर		चना		नमक	
		बोरा	वजन	बोरा	वजन	बोरा	वजन	बोरा	वजन
1	रायपुर	**30**	**13.29**	**225**	**116.87**	0	0.00	0	0.00
2	बलौदाबाजार	0	0.00	**109**	**60.16**	0	0.00	0	0.00
3	गरियाबंद	**15**	**7.45**	**41**	**21.33**	0	0.00	**12**	**6.00**
4	महासमुन्द	0	0.00	**48**	**23.74**	0	0.00	0	0.00
5	बेमेतरा	0	0.00	**79**	**39.00**	0	0.00	0	0.00
6	कवर्धा	0	0.00	**10**	**5.78**	0	0.00	0	0.00
7	कोरबा	0	0.00	**24**	**12.49**	0	0.00	0	0.00
8	सरगुजा	0	0.00	**66**	**37.09**	**622**	**155.50**	0	0.00
9	कोरिया	0	0.00	**13**	**7.10**	0	0.00	0	0.00
10	बस्तर	0	0.00	**34**	**15.43**	0	0.00	0	0.00
11	कांकेर	**30**	**11.92**	**5**	**2.34**	0	0.00	0	0.00
योग		**75**	**32.66**	**654**	**341.33**	**622**	**155.50**	**12**	**6.00**

डेमेज खाद्यान्न विक्रय हेतु क्रेताओं से आफर बंद लिफाफे में दिनांक **16.09.2014** दिन **मंगलवार** को **दोपहर 02** बजे संबंधित जिलों के जिला कार्यालय, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड में प्राप्त किए जायेंगे तथा **दि. 16.09.2014 को ही दोपहर 03** बजे गठित समिति एवं आफरदाताओं या उनके प्रतिनिधि के समक्ष खोली जावेगी। निर्धारित समय तथा दिनांक के बाद प्राप्त होने वाले आफर को **मान्य नहीं किया** जावेगा।

विक्रय हेतु शर्तें निम्नानुसार होंगी :–

1. डेमेज खाद्यान्न का विक्रय "**जहां है, जैसा है**" के आधार पर किया जावेगा।

2. डेमेज खाद्यान्न का क्रय हेतु प्रस्तुत आफर के साथ प्रति क्विंटल **शक्कर हेतु 1000/– एवं गेहूं, चना हेतु 500/– क्विंटल** रु/रुपया नगद राशि अमानत के रूप में निगम के जिला कार्यालय में जमा कर एम.आर. प्राप्त कर सकते है, जिसे निविदा के दौरान आफर के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करना अनिवार्य है। दरें स्वीकृत होने पर निर्धारित समय में संबंधित जिलों में अनुबंध निष्पादन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा आफर के साथ जमा अमानत राशि निगम के पक्ष में राजसात कर दी जायेगी। निविदाकार को प्रति क्विंटल दरें देना होगा।
3. क्रय/विक्रय हेतु निर्धारित लायसेंस अनुज्ञा इत्यादी लेने की जिम्मेदारी आफरदाता की रहेंगी।
4. डेमेज खाद्यान्न क्रय करने के पूर्व क्रेता संग्रहित जिलों/केन्द्रों पर स्वयं के खर्चे पर डेमेज खाद्यान्न का निरीक्षण कर सकते हैं। उपरोक्त घोषित मात्रा में वृद्धि या कमी हो सकती है।
5. दरें मय बारदाना एवं शुद्ध वजन हेतु जिले के केन्द्र की पूरी मात्रा के लिए होना चाहिये।
6. डेमेज खाद्यान्न विक्रय के दौरान निगम के द्वारा कोई भी हम्माली एवं परिवहन खर्च वहन नहीं किया जायेगा। अतः क्रेता को स्वयं के व्यय पर आदेशित डेमेज खाद्यान्न का उठाव करना अनिवार्य होगा।
7. प्राप्त उच्चतम दर के आधार पर डेमेज खाद्यान्न का विक्रय किया जावेगा। अतः सफल आफरदाता को स्वीकृति आदेश प्राप्ति के 10 दिवस के अंदर स्वीकृत मात्रा के लिए डेमेज खाद्यान्न मूल्य की शत्प्रतिशत राशि एकमुश्त निगम के जिला कार्यालय में जमा कर डेमेज खाद्यान्न का उठाव हेतु जिला प्रबंधक से अनुबंध करना होगा एवं अनुबंध में दर्शित समय–सीमा के अंदर डेमेज खाद्यान्न का उठाव करना अनिवार्य होगा।
8. क्रेता को यह शपथ पत्र देना होगा कि उठाये गये डेमेज खाद्यान्न/शक्कर का उपयोग मानव खाने हेतु नहीं करेंगे।
9. अनुबंध में दर्शित समय–सीमा के भीतर डेमेज खाद्यान्न का उठाव नहीं करने पर जमा राशि निगम पक्ष में राजसात कर ली जावेगी।
10. अनुबंध में दर्शित समय–सीमा के भीतर डेमेज खाद्यान्न का उठाव करना अनिवार्य होगा। यदि अनुबंध में मात्रा उठाव हेतु शेष रह जाता है तो शेष मात्रा हेतु भण्डारण शुल्क एवं ब्याज की राशि जमा करने के पश्चात् डेमेज खाद्यान्न उठाव करने हेतु अतिरिक्त समय प्रदान की जा सकेगी, परन्तु यह समय–सीमा अधिकतम 30 दिवस रहेगी।
11. डेमेज खाद्यान्न विक्रय हेतु वाणिज्यिक कर/स्थानीय कर/अन्य कर लागू होता हो, तो वह अतिरिक्त होगा एवं क्रेता के द्वारा वहन किया जायेगा।
12. डेमेज खाद्यान्न विक्रय में किसी भी प्रकार से उत्पन्न विवाद का अंतिम निर्णय प्रबंध संचालक द्वारा दिया जायेगा, जो दोनो प्रक्षों (निगम एवं क्रेता) को मान्य होगा।
13. किसी भी आफर को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अंतिम निर्णय प्रबधं संचालक के पास अधिकार सुरक्षित रहेगा।
14. सभी प्रकार के विवादों का न्यायाधिकार क्षेत्र रायपुर (छ.ग.) होगा।

महाप्रबंधक